



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 02/52/2022 से 53/2022, दिनांक 31.03.2023

ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2022

अर्हकारी अंकों में 05 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2023

दोपहर 12:00 बजे तक

01 आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 52/2022 एवं 53/2022 दिनांक 30.12.2022 को आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> तथा रोजगार निर्माण दिनांक 09.01.2023 के अंक में प्रकाशित किए गए हैं।

02 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1/1/1/0091/2022/38/1 दिनांक 15/02/2023 में उल्लेखानुसार यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 की कडिका-3.4(I) अनुसार अर्हताएं एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग राजपत्र दिनांक 21.11.2022 के अनुसार उक्त विज्ञापनों की कंडिका-दो(G) (V) में कंडिका-3 अनुसार सशोधन किया जाता है :-

1. " सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रीमिलेयर) / दिव्यांग [(क) दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, (ख)] बहरे और कम सुनने वाले, (ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कूलर डिस्ट्राफी से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत की पात्रता अंकों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी पॉइंट स्केल में सम्तुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणियों के लिए 05 प्रतिशत की छूट अनुमेय है। "

03 कंडिका-दो(G)(3.2) निम्नानुसार टीप स्थापित की जाती है :-

टीप :- म.प्र. शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

04 विज्ञापनों की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

Law
उप सचिव

[Signature]